संख्या- 37/2016/234/22-4-16-48(100)/15

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 31 मार्च, 2016

विषय- जिला कारागार, मैनपुरी में 10 कैदी बैरकों के निर्माण हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-49166/नम-4, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 एवं पत्र संख्या-5087/नम-1, दिनांक 22.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, मैनपुरी में 10 कैदी बैरकों के निर्माण हेतु उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ (पैकपेड) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल रू0 5,26,46,000/-(रूपया पॉच करोड़ छब्बीस लाख छियालिस हजार मात्र) की धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 2,63,23,000/- (रूपया दो करोड़ तिरसठ लाख तेईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्य की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) नियमानुसार समस्त वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स समक्ष स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन पी0डब्लू डी0 द्वारा दिनांक 15.09.2015 से कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर किया गया है। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण, सक्षम लोकल अथारिटी से सवीकृत कराया जाय।

(4) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी मदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूचि दरों में सम्मिलित नहीं है, उनकी लागत का आंकलन बाजार दर, कोटेशन के आधार पर किया गया। विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा बाजार / कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपराइटरी सम्बन्धी कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित कराया जाय एवं इन मदों पर वास्तविक व्यय ही देय होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग व कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जाय।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(10) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(11) पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(12) प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपयोग कर लेने के पश्चात कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त दूसरी किश्त जारी की जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

(13) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निमार्ण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय -80-सामान्य-051-निर्माण-03-कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्वार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित (प्रति संलग्न) से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक्/मद के नामे डाला जायेगा। नामे डाला जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक में उपलब्ध बजट से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-316/दस-2016, दिनांक- 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरि नारायाण गिरि)
अनु सचिव।

<u>संख्या-37 /2016/234(1)/22-4-2016-तददिनांक-</u>

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ(पैकफेड) लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, मैनपुरी।

(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in